


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 22/2022

उनवानी :- भगवत व अन्य बनाम शिवदयाल व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
06.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। मूल दावा में सायल सं01 ता 4 की ओर से श्री बिजेन्द्रसिंह गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। स्वयं सायल सं01 ता 4 उपस्थित आये। वकील सायलान ने मूल दावा में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा वादी साहबसिंह फौत हो चुका है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिका पर भी सायलान ने अपने हस्ताक्षर का उक्त प्रकरण को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते है। इसलिए मुकदमा नं. 22/2022 उनवानी भगवत व अन्य बनाम शिवदयाल व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली) </p>